

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुसूचि 14 फॉर्म संख्या 693

## आदेश-फलक

(देखे अभिलेख हस्तक 1911 का नियम 129)

अनुमति वाद संख्या :- 474 / 19-20

जिला-खूँटी।

केश का प्रकार:-छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि बिक्री की अनुमति

नेहा देवी  
रानी देवी

- विक्रेता  
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ										
06.03.20	<p>नेहा देवी पति अजय कुमार पटेल ग्राम-मण्डगढ़, सुधा साह के टोला, मंझा, थाना-मंझा वर्तमान पता ग्राम-पीडीटोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत निम्नलिखित भूमि की बिक्री रानी देवी पति प्रभु कुमार साह ग्राम-मोहनाटोली, खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के पास 8086.00(आठ हजार छयासी)रुपये में करने हेतु आवेदन दिया है।</p> <p>भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:-</p> <table border="1" data-bbox="252 1120 1417 1317"> <thead> <tr> <th>ग्राम/थाना नं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा/प्लॉट सं०</th> <th>रकवा (एकड़ में)</th> <th>लगान भूगतान की स्थिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>खूँटी 83</td> <td>360</td> <td>1219</td> <td>0.10</td> <td>2019</td> </tr> </tbody> </table>	ग्राम/थाना नं०	खाता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)	लगान भूगतान की स्थिति	खूँटी 83	360	1219	0.10	2019	
ग्राम/थाना नं०	खाता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)	लगान भूगतान की स्थिति								
खूँटी 83	360	1219	0.10	2019								
	<p>आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदक का जाति-कुर्मी है एवं विपक्षी का जाति-तेली है जो सी०एन०टी० 46 के अंतर्गत नहीं आते है। ऐसी परिस्थिति में भूमि बिक्री की अनुमति देना न्यायसंगत प्रतित नहीं होता है।</p> <p>अतः आवेदन द्वारा दिया गया आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार खूँटी में जमा करे।</p>											
	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>											